न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 35/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00164

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल
2. दिनेशचन्द पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल
3. ताराचन्द पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल
} जातियान ब्राहम्ण नि0 महमदपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर।
4. श्रीमति शीलादेवी पत्नि स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
5. विजयकुमारी पुत्री स्व0 विश्वम्भर दयाल पत्नि श्री रामेश्वर दयाल जाति ब्राहम्ण निवासी भांडौर तहसील भरतपुर।
6. रामेश्वर पुत्र श्री किशन जाति ब्राहम्ण निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रकाशचन्द पुत्र श्री बल्ली
2. जगदीश पुत्र श्री बल्ली
3. भगवान सिंह दत्तक पुत्र श्री धर्म सिंह
} जाति ब्राहम्ण निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. प्रेम पत्नि स्व0 श्री अमर सिंह
5. उमेशचन्द पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह
6. दयालराम पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह
7. कृष्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह
} जाति ब्राहम्ण निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. पुष्पादेवी पुत्री स्व0 श्री अमर सिंह पत्नि श्री ईश्वरचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कनावर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
9. सोनदेई पुत्री स्व0 श्री अमर सिंह पत्नि श्री गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी महलपुर काछी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
10. निर्मला पुत्री स्व0 श्री अमर सिंह पत्नि श्री ताराचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी महलपुर काछी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
11. विरमा पुत्र श्री सूखा जाति गूजर निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
12. रज्जो पत्नि लज्जाराम जाति गूजर निवासी खटका तहसील बयाना जिला भरतपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार बयाना।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 05/2019 (225 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00047

उनवान

1. प्रकाशचन्द पुत्र श्री बल्ली जाति ब्राहम्ण निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल
2. दिनेशचन्द पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल
3. ताराचन्द पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर दयाल
} जातियान ब्राहम्ण नि0 महमदपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर।
4. रामेश्वर पुत्र श्री किशन जाति ब्राहम्ण निवासी महमदपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.05.2018 प्रकरण संख्या 35/2004 उनवान विश्वम्भर बनाम प्रकाश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

अभिभाषकगण :–

1. श्री श्रीराम शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री महेन्द्रभूषण शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–07.04.2022

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपील में समान विषयवस्तु, समान आराजी एवं समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. अपील संख्या 35/2018 के प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष विश्वम्भर दयाल वगै0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 प्रकाशचन्द वगै0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम महमदपुरा व ककलपुरा तहसील बयाना के खातेदार सन्ता एवं बल्ली का स्वर्गवास हो चुका है जिनमे से सन्ता लावल्द विला औरत फौत हुआ है। इसलिये उसके हिस्से की आराजी वादीगण/अपीलाण्ट के हिस्से में आ गयी एवं बल्ली की आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक में आ गयी। उपरोक्त समस्त आराजीयात के वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 शामिल में काश्त करते चले आ रहे हैं। कुछ पक्षकारान विवादित आराजी को बिना विभाजन कराये विक्रय कर रहे हैं। अतः राजस्व अभिलेख में सामलात में खातेदारी का इंद्राज होने के कारण सभी पक्षकारान के हिस्से की आराजी में से विक्रय हो जाती है। जिसकी वजह से मौके पर काश्त करने में काफी परेशानी होती है। अतः विवादित आराजी के अलग–अलग कुर्रे बनाया जाना आवश्यक है। अन्त में विवादित आराजी का विभाजन कर अलग–अलग खाते कायम करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 से प्राथमिक डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील संख्या 05/2019 अपीलाण्ट प्रकाशचन्द ने इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 35/2018 पूर्व में वादीगण राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 783 जो कि प्रकाशचन्द के कब्जे काश्त में चली आ रही है। दौराने अपील उक्त आराजी खसरा नम्बर 783 पर राजेन्द्रप्रसाद वगै0 पक्का निर्माण करने पर आमदा हैं तथा दिनांक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

25.04.2019 को टीनशेड डालकर चारो और बाउण्ड्री बाल बना रहे हैं। जबकि अभी पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है एवं स्वयं राजेन्द्रप्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 35/2018 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति एवं दौराने अपील कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। वादीगण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की खण्ड संख्या 03 के उपखण्ड अ, ब, स, द में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के कुर्रेजात बनाकर प्रस्तुत किये है। जिनका समर्थन प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 ने अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 27.04.2005 में किया है फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री में राजीनामा की अनदेखी कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी ही नहीं करनी चाहिये थी। क्योंकि विवादित आराजी का मनवट पूर्व से ही हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों को तय करते समय किसी भी तनकी पर पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य की विवेचना नहीं की है एवं तनकी संख्या 03 व 04 को एक साथ गलत रूप से निर्णित किया गया है। तनकी संख्या 05 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसमें जवाब दावा डीडब्ल्यू 1 के शपथ पत्र तथा जिरह में भारी विरोधाभाष है जिससे यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 783 पर वादीगण/अपीलाण्ट का न्यारान्यूर कब्जा व काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी पर वेग निर्णय पारित किया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट के अभिभाषक ने दिनांक 30.04.2018 को बहस की गयी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.05.2018 तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया तथा दिनांक 20.07.2018 तक अपीलाण्ट के वकील निर्णय के बारे में पूछते रहे तथा कोई निर्णय नहीं सुनाया गया। दिनांक 25.07.2018 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् अपीलाण्ट के वकील द्वारा पुनः बहस की तारीख के बारे में पूछे जाने पर निर्णय होने की बात बताई गयी। तत्पश्चात् नकल वगै0 आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर सीसीसी 2003(2) पेज 359, 2001(3) पेज 75, आरआरडी 1998 पेज 319 का उद्धरण पेश किया।

6. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील मियाद बाहर पेश की गयी है एवं देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है। विवादित आराजी को जो मनवट बँटवारा हो रहा है। वह कानूनन नहीं है। मनवट में ज्यादा जमीन आयी हुयी है। अतः हिस्से से अधिक आराजी कैसे दी जा सकती है। विवादित आराजी आबादी से लगी हुयी है एवं रोड के सहारे भी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

लगी हुयी है। राजीनामा से अपीलाण्ट को उनके हिस्से से अधिक भूमि नहीं दी जा सकती है। रैस्पो0 राजीनामा से बाधित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षो की उपस्थिति में पारित हुआ है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलाधीन आदेश की उन्हें जानकारी नहीं रही। आदेशिका में अपीलाण्ट द्वारा बताई गयी कोई तारीख पेशी नहीं दी गयी है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवदेन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिंदु पर विचार करना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के विरूद्ध यह अपील दिनांक 23.08.2018 को लगभग 03 माह पश्चात इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। मियाद के सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अभिभाषक ने दिनांक 30.04.2018 को बहस की गयी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.05.2018 तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया तथा दिनांक 20.07.2018 तक अपीलाण्ट के वकील निर्णय के बारे में पूछते रहे तथा कोई निर्णय नहीं सुनाया गया। दिनांक 25.07.2018 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् अपीलाण्ट के वकील द्वारा पुनः बहस की तारीख के बारे में पूछे जाने पर निर्णय होने की बात बताई गयी। हमने गौर किया। अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिवस है। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील साधारण से विलम्ब के साथ प्रस्तुत की है एवं उक्त साधारणा से विलम्ब के लिये जो कारण बताये हैं। वह न्यायालय के मत में सारपूर्ण प्रतीत होते हैं। अतः अपील गुणावगुण पर सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

8. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का पूर्व में मनवट होना एवं पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कुर्रेजात के आधार पर डिक्री नहीं किये जाने की आपत्ति करते हैं। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु पॉच तनकियों निर्धारित की गयी हैं एवं उपरोक्त तनकियों को तय करते समय, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी का मनवट के आधार पर पूर्व में विभाजन हो गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी पर उभयपक्षकारान विवादित आराजी पर सहखातेदार के रूप में दर्ज अभिलेख हैं। स्वयं वादी ने व जिरह प्रतिवादी डीडब्ल्यू 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को पूर्व में विभाजन हुआ के तथ्य से इंकार किया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाने के आदेश पारित किये हैं, जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील संख्या 35/2018 खारिज योग्य समझते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

9. अपील संख्या 05/2019 में अपीलाण्ट प्रकाशचन्द द्वारा विवादित आराजी के विभाजन होने तक विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रस्तुत की गयी थी। हम पाते हैं कि प्रत्येक सहकृषक का प्रत्येक इंच पर अपना अधिकार होता है एवं विधि अनुसार सहकृषक के विरूद्ध निषेधाज्ञा व मदाखलत मजाहमत न करने का आदेश पारित नही किया जा सकता है। इसके अलावा अपीलाण्ट प्रकाशचन्द ने जो अपील प्रस्तुत

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की गयी है वह अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश प्रारम्भिक डिक्री का है। अपीलाण्ट प्रकाशचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अपील पेश करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील में कोई बल नही पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2018 यथावत रखें जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाये जावें एवं उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्षकारान को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित करें। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना